न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 3/2023
3. उनवान : 1. वैद्य रूपकिशोर शर्मा पुत्र श्री वैद्य बंशीधर शर्मा
   2. रामावतार दाधीच पुत्र श्री रामेश्वर लाल शर्मा समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मु० पो० जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील जोबनेर जिला जंयपुर।

   –निगरानीकार

   बनाम

   1. ग्राम पंचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
   2. सीताराम शर्मा पुत्र लादूराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
   3. बंशीलाल पुत्र स्व० चैनाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
   4. छीतर पुत्र स्व० चैनाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जोरपुरा (सुन्दरियावास) तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

   –विपक्षी/गैर निगरानीकार
4. निर्णय दिनांक : 08/11/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री सीताराम जाट गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री भौरीलाल शर्मा गैर निगरानीकार संख्या 2 एवं 4 की ओर से।

निर्णय.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 ने मौके पर निगरानीकार के पूर्वजों का कब्जेशुदा बाडा हैं, को छुपाते हुये विपक्षीगण संख्या 2 के हक में दिनांक 16/12/2021 को संकल्प संख्या 2 के द्वारा पट्टा संख्या 1 दिनांक 16/12/2021 पंचायती राज अधिनियम व पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत जाकर 234.6 वर्गगज नियम 157 (1) के तहत जारी कर दिया। जबकि उपरोक्त भूखण्ड/बाडा का पटटा निगरानीकार के पूर्वज पिता बंशीधर व रामेश्वर लाल के नाम से पट्टा संख्या 37 दिनांक 30/9/1972 को कुल क्षेत्रफल 306 वर्गगज का जारी किया हुआ है। गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 3 व 4 से जरिये इकरार निगरानीकार के उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड को खरीदने के दस्तावेज बताने पर निगरानीकार द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक जिला जयपुर के यहां वाद संख्या 53/2015 प्रस्तुत कर मौके की यथास्थिति बाबत दिनांक 3/6/2015 को पाबन्द करवाया गया। उक्त वाद में दिनांक 29/3/2023 को गैर निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानीधीन पट्टा प्रस्तुत करने पर निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुई। जिसकी नकल दिनांक 13/4/2023 को निगरानीकार को प्राप्त हुई। उक्त जारीशुदा पट्टे के संदर्भ में पालना नही कर पंचायती राज नियम 157(1) के अन्तर्गत मौके पर गैर निगरानीकार का निर्मित मकान मानते हुये उक्त पट्टा जारी कर दिया। जबकि मौके पर भूखण्ड/बाडा जो निगरानीकारान का पूर्वजों से कब्जेशुदा व पट्टेशुदा है मौके पर किसी प्रकार का कोई पुराना मकान का निर्माण नही है। इसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु गैर निगरानीकार संख्या 1 को निगरानीकार द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 29/5/2015 के माध्यम से रही जानकारी व प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट

कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट–तृतीय जयपुर

सांभरलेक हाल में ए. सी.जे.एम. कोर्ट किशनगढ़ रेनवाल में विचाराधीन है, आदि तथ्यों की जानकारी होते हुये भी तथा पंचायती राज के नियमों की अवहेलना करते हुये पट्टा जारी कर दिया। उसके पश्चात् अन्तिम विनिश्चय करना व नोटिस जारी व प्रकाशित करना आक्षेपो का निपटारा करना आदि प्रक्रिया के उपरान्त ही अर्थात् नियम 146 से 149 की पालना कर पट्टटा जारी करना चाहिए था। परन्तु विपक्षी संख्या 1 ने ना तो मौके का अवलोकन किया। इकरारनामें में अंकित दिशायें व पट्टे में अंकित दिशाये भिन्न होने के कारण तथा इकरारनामें में अंकित क्षेत्रफल व लम्बाई चौडाई तथा पट्टे में अंकित लम्बाई चौडाई व क्षेत्रफल भी भिन्न–भिन्न है। पट्टे की जानकारी में गैरनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा दिनांक 29/3/2023 को वाद में उक्त पट्टे की फोटो प्रति पेश करने पर हुई। दिनांक 13/4/2023 को नकले प्राप्त करने पर सम्पूर्ण जानकारी हुई। उक्त शून्य व प्रभावहीन आदेश जिस पर मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता।

अन्त में निवेदन किया है कि आदेश दिनांक 16/12/2021 संकल्प संख्या 2 जिसके तहत पट्टा संख्या 1 दिनांक 16/12/2021 को जारी किया गया, को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र धारा 5, स्थगन प्रार्थना पत्र, निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम जाट एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 लगा0 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भौरी लाल शर्मा उपस्थित हुए।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब निगरानी में अंकित किया गया है कि उक्त निगरानीधीन पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 2 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये जवाबदाता को मुगालते में रखते हुये छल कपट की भावना रखते हुये उक्त निगरानीधीन पट्टा अपने हक में जारी करवा लिया। गैर निगरानीकार संख्या 2 को उत्तरदाता द्वारा वास्तविकता को समझे बिना व मौके व कब्जे का अवलोकन किये बिना जो पट्टटा जारी किया है वास्तविक रूप से उत्तरदाता मुगालते में रहकर ही तथा गैर निगरानीकार के झूठे तथ्यों पर विश्वास कर उसकी छल व कपट की भावना को समझे बिना जारी किया है जो विधि विरूद्ध है व खारिज किये जाने योग्य हैं। मौके पर जिस भूखण्ड का जो गैर निगरानीकार संख्या 2 को पट्टा जारी किया गया है उत्तरदाता द्वारा ग्राम के मौजीजा लोगों से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट हुआ कि उक्त भूखण्ड पर निगरानीकारान का काफी समय बतौर बाडे के रूप में कब्जा रहा तथा गैर निगरानीकारान संख्या 2 लगा0 4 का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार उक्त भूखण्ड से नही रहा। निगरानीधीन पट्टे को गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य की निगरानीकार द्वारा सिविल कोर्ट किशनगढ रेनवाल में वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है तथा माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन भी जारी किया हुआ है, के तथ्यों को छुपाते हुये उत्तरदाता को मुगालते में रखते हुये उक्त निगरानीधीन पट्टा उत्तरदाता से जारी करवा लिया जो कि विधि विरूद्ध छल कपट की भावना से जारी करवा लिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

अन्त में गैर निगरानीकार संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तृतीय ...यपुर

गैरनिगरानीकार संख्या 2 लगा0 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब निगरानी में अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी नं. 3 व 4 के बुजुर्गान की कब्जे व उपयोग की भूमि रही है। निगरानीकारों का उक्त भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। विवादग्रस्त बाडे के पूर्व में

चिरंजीलाल पुत्र नाथू शर्मा का बाड़ा है। चिरंजीलाल को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10/03/1998 को दिए गए पट्टे में वादग्रस्त भूखण्ड स्पष्ट रूप से अप्रार्थी नम्बर 3 व 4 का वर्णित किया गया है। वाद ग्रस्त बाड़े के उत्तर दिशा में 6 फिट ऊँची व 49 फिट 3 इंच लम्बी पक्की बाउण्ड्रीवाल करीब 25 वर्षों से बनी है। अप्रार्थी नं. 3 व 4 की लोहे की एंगिलें चारों ओर वर्षों से लगी है। वादग्रस्त भू–खण्ड का निगरानीकारों ने ग्राम पंचायत जोरपुरा द्वारा वर्ष 1972 में पट्टा संख्या 37 दिया जाना बताया है। जबकि उक्त वादग्रस्त स्थल खसरा नं. 236 का भाग है, जो वर्ष 1977 तक सिवायचक भूमि रही है तथा ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को 1977 में राजाज्ञा से नियमानुसार आवासीय रूप में रूपान्तरित कराया है। बाजार से पट्टा प्रति खरीदकर तत्कालीन संरपंच के हस्ताक्षर फर्जी बनाकर निगरानीदारों ने फर्जी पट्टा बनाया है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी नं. 3 व 4 के बुजुर्गान के समय से मकान (कच्चे घर) छप्पर पोष बने थे जो गिर चुके हैं तथा उनके निशानात् मौके पर यथावत् है। अप्रार्थी नं. 2 जो इसी गाँव का निवासी है उसको ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं. 3 व 4 के बुजुर्गान से कब्जे व उपभोग में रही है। इसलिए उचित प्रतिफल देकर अप्रार्थी नं. 2 ने क्रय की है। रूपये एंठने की गरज से निगरानीदारों ने फर्जी कागजात तैयार कर यह निगरानी ही दायर नहीं की है बल्कि सिविल न्यायालय में दावा भी दायर किया है जो लम्बित है। उक्त स्थिति में जब निगरानीदारों ने अपने अधिकारों के लिए दावा दायर कर दिया है तो निगरानी दायर करने का औचित्य ही नहीं है। जो दावा निगरानीदारों ने सिविल न्यायालय में दायर किया है उसमें मौका कमिश्नर ने न्यायालय में मौका रिपोर्ट पेश की है। जिसमें पूर्वजों से बनी पक्की दीवार जो 6 फिट ऊँची व 49 फिट 3 इंची लम्बी बनी है, उसका स्पष्ट विवरण दिया है। जबकि दावे में निगरानीदारों ने वर्ष 2015 में निर्माण करने का प्रयास करना लिखा है तथा पूर्व से बनी दीवार का जानबूझकर जिक्र नहीं किया है। जो मौका रिपोर्ट मौका कमिश्नर द्वारा बनाई गई है तथा उसके साथ जो नजरी नक्शा बनाया है वह नाप जोख निगरानीदारों द्वारा वर्णित पट्टे की नाप से मेल नहीं खाती हैं। निगरानीदारों के पट्टे की पत्रावली ग्राम पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध ही नहीं है, जो इसका प्रमाण है कि निगरानीदारों ने फर्जी पट्टा बनाकर उसके आधार पर अप्रार्थी नं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए पट्टे को अवैध बताया है जो विधि सम्मत नहीं है। अप्रार्थी नं. 2 को ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार पट्टा दिया है। जो हर कानूनी आंकड़े से वैध पट्टा है। ग्राम पंचायत जोरपुरा द्वारा नियमानुसार मौके की जाँच कर मौके पर पुराने निर्माणात व निर्माणात के निशानात का मौके पर होना मानकर पट्टा जारी किया है। जो पट्टा 1972 में बनाना निगरानीदारों ने बताया है उस पट्टे में न तो प्रस्ताव संख्या लिखी है न प्रस्ताव की दिनाँक लिखी है। पट्टे में मिसल संख्या नहीं लिखी है। पट्टे में पट्टा फीस 19 रूपये 12 पैसे लिखी है। जबकि रसीद 22 रूपये 12 पैसे की बताई गई है। पट्टे व रसीद की दिनाँक में भिन्नता है। रसीद व पट्टे दोनों हस्ताक्षरों में भिन्नता स्पष्ट नजर आती है। नक्शे व पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षरों में भिन्नता स्पष्ट दिखती हैं। ग्राम पंचायत के सचिव के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं हैं। पट्टा किशनगढ़ मदनगंज में प्रिन्टेड है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी ग्रामवासी को उक्त प्रेस के द्वारा प्रिन्टेड पट्टे नहीं दिए गए हैं। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी न. 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व मौके पर कब्जा अप्रार्थी नं. 2 का मानकर पट्टा विशेष शिविर में दिया गया है। जो पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाकर दिया गया है। इस आधार पर अप्रार्थी नं.2 के पक्ष में जारी पट्टा हर कानूनी आँकड़े से वैध पट्टा है। इकरारनामें में लिखी नाप जोख यदि मौके से भिन्न है तो ग्राम पंचायत मौका जाँच के अनुरूप पट्टा जारी करती है, जो किया भी है। दिनाँक 29/05/2015 को जो प्रार्थना पत्र निगरानीदारों द्वारा दिया गया उसके आधार पर ग्राम पंचायत ने रिकार्ड देखा तो पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 37 दिनाँक 30/09/1972 को दिया ही नहीं गया है। तथा मौके पर जाँच किए जाने पर आवेदक अप्रार्थी नं. 2 का भूखण्ड पर पुश्तैनी निर्माण व कब्जा पाया गया उसी के आधार पर ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी नं. 2 को पट्टा जारी किया, जिसका

पंजीयन भी ग्राम पंचायत ने कराया। निगरानीदारों को वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी नं. 3 व 4 के पूर्वजों से कब्जा होने की जानकारी रही है तथा स्वयं निगरानीदारों ने 29/05/1995 को जो प्रार्थना पत्र दिया उससे भी जानकारी है कि अप्रार्थी नं. 2 ने पट्टे हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन दिया है। जिसकी जाँच कर विशेष कैम्प में पट्टा अन्य ग्रामवासियों के साथ अप्रार्थी नं. 2 को भी दिया गया। निगरानीदारों के परिवारजन उक्त विशेष कैम्प में उपस्थित रहे है तथा उनकी उपस्थिति में ही अप्रार्थी नं. 2 को पट्टा जारी किया गया। इसलिए जानकारी 29/03/2023 को होना मिथ्या साबित हो जाता है।

विशेष कथन में अंकित है कि अप्रार्थी नं. 2 को जो पट्टा जारी किया गया है वह पंजीकृत दस्तावेज है तथा पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त कराया जा सकता है। निगरानीदारों ने अपने अधिकारों हेतु सिविल न्यायालय में दावा दायर किया हुआ है। उक्त स्थिति में एक ही विवाद के लिए भिन्न–भिन्न न्यायालयों में अलग–अलग वाद पोषणीय नहीं है।

अन्त में निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन भूमि निगरानीकार की पट्टेशुदा भूमि है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 2 को पट्टा जारी कर दिया जबकि किसी भी भूमि पर यदि पूर्व में पट्टा जारी किया जा चुका है तो पुनः उसी भूमि पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 157 व 157(2) की अवहेलना कर खाली भूमि पर पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि मौके पर निर्माण होना आवश्यक है। पंचायत द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी निगरानीधीन पट्टा छल कपट से जारी करने के तथ्य को स्वीकृत किया है। उक्त भूमि पर निगरानीकार का कब्जा काफी अरसे रहा है। गैरनिगरानीकार संख्या 2 द्वारा कब्जा करने की कोशिश करने पर उसे मा0 न्यायालय सिविल कोर्ट से भी पाबंद करवाया जा चुका है कि निगरानीकार की पट्टेशुदा भूमि में दखलअंदाजी ना करें। बावजूद इसके पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 2 को पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए पट्टा जारी कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। पंचायती राज नियम की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु मियाद का अंकन नहीं है। साथ ही अवैध व शून्य आदेशों पर मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया उक्त निगरानीधीन पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 2 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये पट्टा अपने हक में जारी करवा लिया। मौके व कब्जे का अवलोकन किये बिना पट्टा जारी किया है। ग्राम के मौजीजा लोगों से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट हुआ कि उक्त भूखण्ड पर निगरानीकारान का काफी समय बतौर बाडे के रूप में कब्जा रहा तथा गैर निगरानीकारान संख्या 2 लगा0 4 का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार उक्त भूखण्ड से नहीं रहा। न्यायालय सिविल कोर्ट किशनगढ रेनवाल द्वारा स्थगन भी जारी किया हुआ है, के तथ्यों को छुपाते हुये विधि विरूद्ध छल कपट से पट्टा जारी करवा लिया। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावे।

गैरनिगरानीकार सं0 2 लगा0 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी नं. 3 व 4 के बुजुर्गान की कब्जे व उपयोग की भूमि रही है। वादग्रस्त स्थल खसरा नं. 236 का भाग है, जो वर्ष 1977 तक सिवायचक भूमि रही है तथा ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि को 1977 में राजाज्ञा से नियमानुसार आवासीय रूप मे रूपान्तरित कराया है। गैर निगरानीकार सं0 2 ने उक्त भूमि गैर निगरानीकार सं0 3 व 4 से

क्रय की है, जिसके उपरान्त पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकारों का उक्त भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। चिरंजीलाल को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10/03/1998 को दिए गए पट्टे में वादग्रस्त भूखण्ड अप्रार्थी नम्बर 3 व 4 का वर्णित किया गया है। सिविल न्यायालय में दावा भी दायर किया है जो लम्बित है। उक्त स्थिति में जब निगरानीदारों ने अपने अधिकारों के लिए दावा दायर कर दिया है तो निगरानी दायर करने का औचित्य ही नहीं है। सिविल न्यायालय में मौका कमिश्नर ने मौका रिपोर्ट पेश की है। जिसमें पूर्वजों से बनी पक्की दीवार जो 6 फिट ऊँची व 49 फिट 3 इंची लम्बी बनी होने का अंकन है। पट्टे की पत्रावली ग्राम पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध ही नहीं है। पट्टे में न तो प्रस्ताव संख्या लिखी है, न प्रस्ताव की दिनांक लिखी है। पट्टे में मिसल संख्या नहीं लिखी है। रसीद की राशि व पट्टे के हस्ताक्षरों में भिन्नता नजर आती है। अप्रार्थी नं. 2 ने पट्टे हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन दिया है। जिसकी जाँच कर विशेष कैम्प में पट्टा अप्रार्थी नं. 2 को भी दिया गया। जो पट्टा जारी किया गया है, वह पंजीकृत दस्तावेज है तथा पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त कराया जा सकता है। निगरानीदारों ने अपने अधिकारों हेतु सिविल न्यायालय में दावा दायर किया हुआ है। उक्त स्थिति में एक ही विवाद के लिए भिन्न–भिन्न न्यायालयों में अलग–अलग वाद पोषणीय नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानी ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 16.12.2021 के विरुद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किये हैं कि ''गैरनिगरानीकार संख्या 2 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए निगरानीधीन पट्टा अपने हक में जारी करवा लिया। उक्त भूखण्ड पर निगरानीकारान का काफी समय से बतौर बाडे के रुप में कब्जा रहा है तथा गैरनिगरानीकारान संख्या 2 लगा0 4 का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है।'' उक्त तथ्य से निगरानीधीन भूमि पर निगरानीकार का कब्जा जाहिर होता है। निगरानीकारान द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व में जारी पट्टा क्रमांक 37 दिनांक 30/09/1972 की प्रमाणित प्रति पेश की है। पूर्व में जारी पट्टे के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा पुनः उसी भूमि पर पट्टा जारी करना विधिअनुरुप नहीं है। साथ ही माननीय सिविल न्यायालय सांभरलेक द्वारा दिनांक 06/10/2021 को जारी स्थगन आदेश प्रभावी होने पर भी उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकार को पट्टा जारी कर दिया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार पंचायत को दूसरा पट्टा जारी करने का कोई अधिकारी नहीं है। पश्चातवर्ती पट्टा नियमों के विपरीत जारी किया गया है, जो प्रारम्भ से ही पंचायती राज अधिनियम में विनिर्दिष्ट नियमों की अवहेलना करने के कारण अवैध व शून्य है। पंचायत राज अधिनियम अधिनियम की धारा 97 में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं। साथ ही अवैध एवं शून्य आदेशों पर मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जोरपुरा सुन्दरियावास द्वारा जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 16/12/2021 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Collector & Add. District Magistrate-III
JAIPUR